

[भारत के राजपत्र भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2023

अधिसूचना

का.आ. भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, सुश्री आईपे मिनी के स्थान पर श्री आर. दोराईस्वामी (जन्म तिथि: 29.8.1966), कार्यपालक निदेशक (आईटी/एसडी), भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई को दिनांक 1.9.2023 को या उसके पश्चात पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अधिवर्षिता की तारीख (अर्थात् 31.8.2026) तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 2,05,400 रुपए से 2,24,400 रुपए के वेतनमान में भारतीय जीवन बीमा निगम में प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

(फा.सं. ए-11011/04/2023-बीमा-I)



(विनोद कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार